न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.30/2016

1. नरपत देव पुत्र स्व0 मेघसिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. समर्थ सिंह पुत्र स्व0 मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर (मृत्तक) जरिये वारिसान

2/1 श्रीमति कानकंवर बेवा समर्थ सिंह
2/2 श्रवण सिंह पुत्र स्व0 श्री समर्थ सिंह
2/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री समर्थ सिंह
2/4 श्रीमति रूपकंवर पुत्री स्व0 श्री समर्थ सिंह
2/5 श्रीमति स्वरूपकंवर पुत्री स्व0 श्री समर्थ सिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

3. महिपाल सिंह पुत्र स्व0 मेघसिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री गजेन्द्र सिंह राणावत अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान का तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–22.04.2022

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 571 रकबा 3.80 किस्म बारानी–2 वर्तमान जामाबंदी अनुसार सिवायचक खाते में दर्ज हैं। उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबंदी संवत 2050–2053 तक में वादीगण के पूर्वज श्री मेघसिंह पुत्र आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया के नाम साकिन देह खातेदार दर्ज थी। तत्पश्चात् नई जमाबंदी संवत् 2049–2068 तक की राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज श्री मेघसिंह के बजाय बिना किसी विधिक आदेश सिवायचक खाते में दर्ज कर दी जो विधि विरूद्ध है।

उक्त वादवर्णित आराजीयात [illegible] की पुश्तैनी आराजीयात हैं। वादीगण के पिता श्री मेघ[illegible] वादीगण उक्त प्रश्नगत भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व कार्मिक से [illegible] किया तो जानकारी में आया कि वादीगण की पुश्तै[illegible] आराजीयात सिवायचक [illegible] में दर्ज हो गई हैं। जिसे पुनः वादीगण के नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी से संपर्क किया तो न्यायालय द्वारा पारित आदेश लाने पर ही उक्त भूमि वादीगण के नाम पुनः दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होना बताया। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादी से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का निवेदन करने पर उसके द्वारा मना करने पर वादी को यह वाद लाने की आवश्यकता हुई है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी में खातेदार होना घोषित किया जावे ।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रतिवाद पत्र में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के सन्दर्भ में बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0 किस्म बारानी–2 पाडलिया की वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक खाता सं. 1 में दर्ज है। ग्राम पाडलिया के मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0 के साबिक खसरा नं. 522 रकबा 3.80 हैं0 हैं। जमाबंदी ग्राम पाडलिया खाता सं. 1 में दर्ज भूमि साबिक खसरा नं. 522 रकबा 23 बीघा 11 बीस्वा में खाता सं. 283 में खातेदारी भूमि दर्ज होने व वर्किंग जमाबंदी खाता सं. 267 में दर्ज होना चाहिए का नोट अंकित हैं। वर्किंग जमाबंदी खाता सं. 267 वादीगण के पूर्वज मेघ सिंह वल्द आनन्द सिंह कौम राजपूत की खातेदारी है। जो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकारते हुए शेष वाद पत्र सिद्ध करने का भार वादीगण पर बताया। साथ ही बताया कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी को धारा 80(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस नहीं दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने से वाद पत्र निरस्त किए जाने योग्य बताया।

प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में **चार तनकीयात** कायम कर भाहादत पक्षकारान तलब की गई :–

भाहादत वादी में **वादी सं. 1 नरपत देव, वादी सं. 3 महिपाल सिंह एवं स्वतंत्र गवाह श्री करण देव गर्ग एवं कैलाश जाट** ने अपने शपथपत्रों में कमोबेश वाद कथन ही दोहराये हैं । जिनका मुख्य परिक्षण पैरोकार सरकार द्वारा किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्यी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया। बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई ।

मैने पत्रावली का संपूर्ण अवलोकन किया तो पाया कि प्रदर्श–1 चौसाला जमाबंदी, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–4 वर्तमान जमाबंदी, प्रदर्श–5 वर्तमान नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–6 जमाबंदी खसरा नं. 522 खाता सं. 1 से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत आराजी वादीगण के पिता मेघसिंह वल्द आनन्द सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज थी। प्रकरण में ध्यानपूर्वक मनन करने पर इसमें कायम तनकियात को निम्न प्रकार निर्णित किया जाना पाया जाता है ।

तनकी नं. 1 आया वादीगण विवादित आराजी में वादीगण के पिता की खातेदारी आराजीयात होने के कारण वादीगण अपने के खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रहा है इस सिद्ध करने बाबत् वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 वर्तमान जमाबंदी प्रश्नगत आराजी खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0 किस्म बारानी–2, प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नं. 522 रकबा 23 बीघा 11 बीस्वा, प्रदर्श–6

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमाबंदी खसरा नं. 522 रकबा 23 बीघा 11 बीस्वा एवं वर्किंग जमाबंदी खाता सं. 267 अनुसार प्रश्नगत आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात होना प्रतीत होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की पुष्टि होना सिद्ध पाया जाता है। अतः वादीगण विवादित आराजीयात् में खातेदार होने की घोशणा करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं । अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं. 2 आया वादी विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर ही रहा है। तनकी सं. 1 बहक वादीगण तय पाए जाने से उक्त तनकी स्वतः ही सिद्ध होना पाया जाता है। अतः तनकी बहक वादी तय की जाती है ।

तनकी नं. 3 आया विवादित आराजी बाबत प्रतिवादी को धारा 80(2) व्यवहार संहिता का नोटिस नहीं दिया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण वाद निरस्त योग्य हैं ?

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर रहा हैं जिस संबंध में वाद पत्र प्रस्तुत करते समय वादीगण ने प्रतिवादी को धारा 80(2) के तहत व्यवहार संहिता का नोटिस नहीं दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट चाही गई हैं जिसे स्वीकार वाद वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया। अतः इस आधार पर यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय किया जाना पाया जाता है।

आनुतोष :–

अतः प्रकरण में कायम तनकीयात के निर्णय पर यह साबित होता है कि वादवर्णित आराजीयात भूमि वादीगण के पिता श्री मेघसिंह वल्द आनन्द सिंह कौम राजपूत की खातेदारी आराजीयात थी जो राजकीय खाते में दर्ज चली आ रही हैं जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 लगायत 6 से स्पष्ट होता है एवं साक्ष्य वादी पुनः परीक्षण से सिद्ध होता है कि प्रश्नगत आराजीयात भूमि खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0 पर वादीगण के पिता मेघ सिंह पुत्र आन्नद सिंह जाति राजपूत एवं उनकी मृत्युपरान्त वादीगण का कब्जा काश्त अवनरत निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

अतः यह वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि मौजा पाडलिया स्थित खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0 किस्म बारानी–2 पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोशित किया जाने के आदेश पारित किये जाते हैं यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

यथा डिक्री तहसीलदार भिनाय राजस्व जमाबंदी वादीगण के नाम जरिये नामांतरकरण दर्ज करें । खर्चा पक्षकारान् स्वयं अपना–अपना वहन करेंगे ।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा, इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास संजू मीणा (आर.ए.एस.)

नरपत देव वगै0 बनाम राज0 सरकार

(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर दर्ज है)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का. अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नं. 30/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू संजू मीणा (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह राणावत व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरू .... मिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम पाडलिया खसरा नं. 571 रकबा 3.80 हैं0किस्म बारानी–2 में वादीगण को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश पारित किए जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

निजी.......................X.......................मुबलिक.......................X.......................बाबत्..............X....
......खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह................................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक..................X.................. को अदा करें।
वसूलियाव तक..................X..................... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22.04.2022 को डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.......................

ओहदा.......................

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	–	–	स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–			
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मिजान			मिजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकैन चाहिए दिखाया गया है या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:46:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा)
आर.ए.एस

प्रकरण सं.30/2016

1. नरपत देव पुत्र स्व0 मेघसिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय अजमेर
2. समर्थ सिंह पुत्र स्व0 मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय अजमेर (मृत्तक) जरिये वारिसान
   2/1 श्रीमति कानकंवर बेवा समर्थ सिंह
   2/2 श्रवण सिंह पुत्र स्व0 श्री समर्थ सिंह
   2/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री समर्थ सिंह
   2/4 श्रीमति रूपकंवर पुत्री स्व0 श्री समर्थ सिंह
   2/5 श्रीमति स्वरूपकंवर पुत्री स्व0 श्री समर्थ सिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. महिपाल सिंह पुत्र स्व0 मेघसिंह जाति राजपूत निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. राज.सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादी

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:48:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner